

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२१

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०२१

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२१ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक ३७ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:- अनुसूची का संशोधन.

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
३८	एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह	ओजस्विनी समदर्शी न्यास, १०३ वसुंधरा अपार्टमेंट, सुरेन्द्र पैलेस, होशंगाबाद रोड, भोपाल	मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास	एकलव्य विश्वविद्यालय ओजस्विनी नगर, सागर रोड, दमोह	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३९	श्री अरविन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर	श्री अरविन्दो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इन्दौर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	श्री अरविन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर- उज्जैन स्टेट हाइवे, एमआर-१० के रोड पास, सांवेर रोड, इन्दौर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४०	महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर	श्री आर. एस. एजुकेशनल सोसायटी, जबलपुर	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी	महाकौशल विश्वविद्यालय, ग्राम ऐटाखेडा चरगवाँ रोड, पोस्ट तिलवारा, जबलपुर	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश.

३. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १४ सन् २०२०) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ११ सन् २०२१) एतद्वारा निरसित किये जाते हैं. निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेशों के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, श्री अरविन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर तथा महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की है। उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को आशय पत्र जारी कर दिए हैं। उक्त अधिनियम की धारा-९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था। अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक १४ सन् २०२०) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ११ सन् २०२१) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किये गए थे। अब उक्त अध्यादेशों के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख १६ फरवरी, २०२१

डॉ. मोहन यादव

भारसाधक सदस्य.

अध्यादेशों के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। उक्त उपबंध के आलोक में, विनियामक आयोग ने एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह श्री अरविन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर तथा महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर के नाम से निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। उक्त अधिनियम की धारा ६ के आलोक में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को आशय पत्र जारी कर दिए थे। उक्त अधिनियम की धारा-९, में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण करने पर संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विवरण को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा।

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था। मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०२०, (क्रमांक १४ सन् २०२०) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्विती संशोधन अध्यादेश, २०२० (क्रमांक ११ सन् २०२१) इस प्रायोजन के लिए प्रख्यापित किये गये थे।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७
(क्रमांक १७ सन् २००७) से उद्धरण.

धारा - १ से ४३

अनुसूची

[धारा ९(१) देखिए]

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
१.	जे. पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राघौगढ़, गुना.	जयप्रकाश सेवा संस्थान न्यास, नई दिल्ली.	रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	जे.पी. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर राघौगढ़, जिला गुना.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
२.	आइसेक्ट विश्वविद्यालय, भोपाल.	ऑल इण्डिया सोसायटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	आइसेक्ट विश्वविद्यालय, ग्राम-मेंदुआ, भोपाल-चिकलोद रोड, तहसील-गौहरगंज, जिला- रायसेन.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३.	एमीटी विश्वविद्यालय, ग्वालियर.	रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९६० (क्रमांक २१ सन् १९६०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	एमीटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
४.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, इन्दौर.	देवी शकुंतला ठकराल चेरिटेबल फाउंडेशन, भोपाल.	मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	ओरिएण्टल विश्वविद्यालय, सांवेर रोड, रेवती रेंज के सामने, जखया, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
५.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, भोपाल.	सार्वजनिक जनकल्याण परमार्थिक न्यास, भोपाल.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.	पीपुल्स विश्वविद्यालय, पीपुल्स ग्रुप, बाय-पास रोड, भानपुर, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
६.	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी, ग्वालियर.	समता लोक संस्थान, ट्रस्ट, ग्वालियर.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.	आई.टी.एम. युनिवर्सिटी परिसर, एन.एच. ७५ झांसी रोड, सिंथौली, ग्वालियर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

